भारत के सर्वोच्च न्यायालय

श्री धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**, व श्री** सूर्यकांत**,** न्यायमूर्तिगण.

मल्लदा के श्री राम
- अपीलकर्ता
बनाम
तेलंगाना राज्य और अन्य - प्रतिवादी

आपराधिक अपील संख्या **561/ 2022**(एसएलपी **(**सीआरएल) संख्या**1788/2022** से उत्पन्न)

निर्णय**: दिनांक 04-04-2022**

निर्णय:

1. **अनुमति प्रदान की गई**

2. यह अपील तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के दिनांक 25 जनवरी 2022 के फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

3. अपीलकर्ता का भाई मेसर्स इक्सोरा कॉर्पोरेट सर्विसेज बंजारा हिल्स**,** हैदराबाद नामक एक इकाई में एक कर्मचारी के रूप में काम करता था। दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को, कंपनी की ओर से SHO, बंजारा हिल्स के पास एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी के एक अन्य कर्मचारी के महेंद्र ने अनाधिक्रृत तरीके से फेडरल बैंक में एक वेतन खाता खोला और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ साजिश रचकर 450 नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से 85 लाख रुपये की राशि एकत्र की । यह भी आरोप लगाया गया था कि सह-आरोपी, जो कंपनी में मानव संसाधन विभाग का प्रभारी था, **उस**ने हिरासत में लिए गए अन्य लोगों के साथ मिलकर, इच्छुक व्यक्तियों को कंपनी में नौकरी देने की गलत जानकारी देकर पैसे इकट्ठा करने की योजना बनाई और बैंक में खाता खोलने और वर्दी की आपूर्ति के नाम पर इच्छुक उम्मीदवारों से अवैध तरीके से पैसे एकत्र किए।

4. **इस संबंध मे** पहली प्राथमिकी, प्राथमिकी संख्या 675, **दिनांक** 15 अक्टूबर 2020 को पुलिस स्टेशन बंजारा हिल्स में के महेंद्र (ए-1) और बंदी (ए-2) के खिलाफ धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 408, 420, 506 और धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी। दिनांक 17 दिसंबर 2020 को, एक अन्य प्राथमिकी संख्या 343 इसी तरह के आरोपों के आधार पर धारा 408, 420 और 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए हिरासत में लिए

गए व्यक्ति के खिलाफ पुलिस स्टेशन छत्रीनाका में दर्ज की गई । पहले मामले में, बंदी को दिनांक 17 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और दूसरे मामले में, दिनांक 4 जनवरी 2021 को पीटी वारंट के निष्पादन पर गिरफ्तार किया गया । पहले मामले में, बंदी को दिनांक 31 दिसंबर 2020 को पारित एक आदेश द्वारा, दिनांक 8 जनवरी 2021 को इन शर्तों के तहत जमानत पर रिहा किया गया था कि वह आरोप-पत्र दाखिल होने तक प्रत्येक सोमवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 5 बजे के बीच SHO, पुलिस स्टेशन बंजारा हिल्स के सामने पेश होंगे । दूसरे मामले में, बंदी को दिनांक 11 जनवरी 2021 के एक आदेश द्वारा इस शर्त के अधीन जमानत पर रिहा कर दिया गया कि वह तीन महीने की अवधि के लिए प्रत्येक रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच SHO, पुलिस स्टेशन छत्रीनाका के सामने पेश होगा। न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि पहले मामले में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है.

5. दिनांक 19 मई 2021 को हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ बूटलेगर्स, डकैतों, ड्रग-अपराधियों, गुंडों, अनैतिक तस्करी अपराधियों, भूमि पर कब्जा करने वालों, बीज अपराधी, कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य अपमिश्रण अपराधी, नकली दस्तावेज़ अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, हथियार अपराधी, साइबर अपराध के अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अधिनियम 1986 ["तेलंगाना अधिनियम 1986"] की नकली लोगों की खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम के लिए धारा 3 (2) के प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया । संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में हिरासत के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अपने अक्षेपित फैसले और आदेश दिनांक 25 जनवरी 2022 द्वारा याचिका को खारिज कर दिया ।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए सिराजुदीन का कहना है कि हिरासत का आदेश पारित करते समय हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा दिमाग का उपयोग नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आदेश से लगभग पांच महीने पहले ही जमानत दी गई थी। जमानत की मंजूरी इस शर्त के अधीन थी कि बंदी को पहले मामले में, आरोप-पत्र दाखिल होने तक, संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को रिपोर्ट करना होगा और दूसरे मामले में, निर्धारित समय पर तीन महीने की अवधि के लिए सप्ताह मे एक दिन रिपोर्ट करना होगा। । पहले मामले में, आरोप-पत्र 19 मई 2021 को हिरासत के आदेश की तारीख से पहले ही प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि हिरासत के आदेश का आधार ही दोषपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट है कि जमानत देते समय न्यायालय द्वारा जो शर्त लगाई गई थी, उसमें बंदी को निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना आवश्यक था और यहां तक कि हिरासत का आदेश पारित होने तक वह अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त, जबकि हिरासत का आदेश इस आधार पर आगे बढ़ाया गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के कृत्यों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे मामले में सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है, वहीं दूसरी ओर, उच्च न्यायालय के समक्ष आयुक्त की ओर से दायर किये गये जवाबी हलफनामे से स्पष्ट है कि केवल यह आशंका थी कि भविष्य में सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की संभावना होगी। आगे कहा

गया कि तथ्यों की विवरणी से यह स्पष्ट है कि हिरासत का आदेश दोनों आपराधिक मामले शुरू होने के लगभग सात और पांच महीने बाद पारित किया गया था। आग्रह किया गया है कि हिरासत का आदेश पुराने तथ्यों पर आधारित है। यह भी तर्क दिया गया है कि आपराधिक कानून का सामान्य पाठ्यक्रम कथित उल्लंघन से निपटने के लिए पर्याप्त होगा और उपरोक्त तथ्यों पर, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत किसी भी ठोस सामग्री पर आधारित नहीं है।

7. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री मोहित राव ने प्रस्तुत किया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के कृत्यों की प्रकृति सफेदपोश अपराध से जुड़ी संगठित गतिविधियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है जहां नौकरी के इच्छुक लोगों को उनके साथ जुडने के लिए लुभाया गया था। और पैसे इस वादे पर वसूले कि उन्हें भविष्य में रोजगार मिलेगा। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने सही निर्णय लिया है कि हिरासत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

8. सबसे पहले, तेलंगाना अधिनियम 1986 के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक है:

"**2.** परिभाषाएँ -इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए) "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करना" का अर्थ है जब एक बूटलेगर, एक डकैत, एक ड्रग-अपराधी, एक गुंडा, एक अनैतिक तस्करी अपराधी, भूमि-कब्जा करने वाला, एक नकली बीज अपराधी, एक कीटनाशक अपराधी, एक उर्वरक अपराधी, एक खाद्य मिलावट अपराधी, एक नकली दस्तावेज़ अपराधी, एक अनुसूचित वस्तु अपराधी, एक वन अपराधी, एक गेमिंग अपराधी, एक यौन अपराधी, एक विस्फोटक पदार्थ अपराधी, एक हथियार अपराधी, एक साइबर अपराध अपराधी और एक सफेदपोश या वित्तीय अपराधी अपनी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की तैयारी कर रहा है या कर रहा है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना है: स्पष्टीकरण -इस खंड के प्रयोजन के लिए माना जाएगा कि सार्वजनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया गया हैं या अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना समझी जाएगी, यदि इस खंड में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी की कोई भी गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान, खतरा या अलार्म पैदा कर रही है या करने की योजना बना रही है जो आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के बीच असुरक्षा की भावना या जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर व्यापक खतरा कारित कर रही है । ***

(x)"सफेदपोश अपराधी" या "वित्तीय अपराधी" का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो तेलंगाना वित्तीय स्थापना जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम 17) या धारा 406 से 409 **या** 417 से 420 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अध्याय XVIII के तहत अपराध करता है या करने के लिये प्रेरित करता है।

3. कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेने के आदेश देने की शक्ति -(1) सरकार, यदि संबंध में संतुष्ट है कि किसी शराब तस्कर, डकैत, नशीली दवाओं के अपराधी, गुंडा, अनैतिक व्यापार अपराधी, भूमि-कब्जा करने वाला, नकली बीज अपराधी, कीटनाशक अपराधी, उर्वरक अपराधी, खाद्य

अपमिश्रण अपराधी, नकली दस्तावेज़ अपराधी, अनुसूचित वस्तु अपराधी, वन अपराधी, गेमिंग अपराधी, यौन अपराधी, विस्फोटक पदार्थ अपराधी, हथियार अपराधी, साइबर अपराध के अपराधी और सफेदपोश या वित्तीय अपराधी जो उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से, ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने का निर्देश पारित कर सकती है।

(2) यदि, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर किसी भी क्षेत्र में प्रचलित है या ऐसा होने की संभावना है तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो , लिखित आदेश द्वारा, निर्देशित करते हुए कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है, ऐसे जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों से संतुष्ट हैं, तो उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। :

बशर्ते कि इस उपधारा के तहत सरकार द्वारा दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अवधि पहली बार में तीन महीने से अधिक नहीं होगी, लेकिन सरकार, यदि पूर्वोक्त रूप से संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे आदेश को बढ़ाने के लिए समय-समय पर संशोधन कर सकती है। ऐसी अवधि किसी भी समय एक समय में तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

***

13. हिरासत की अधिकतम अवधि**.** -इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी हिरासत आदेश के अनुसरण में, जिसकी धारा 12 के तहत पुष्टि की गई है, किसी भी व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, जो हिरासत की तारीख से बारह महीने की होगी।

9. हिरासत के आदेश दिनांक 19 मई 2021 में कहा गया है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति 1986 के तेलंगाना अधिनियम की धारा 2 (x) के तहत एक 'सफेदपोश अपराधी' है, जिसका भोले-भाले नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा देने का अपराध "बड़े पैमाने पर भय और दहशत" पैदा कर रहा है। भोले-भाले बेरोजगार नौकरी चाहने वालों/युवाओं के बीच और इस प्रकार वह समाज में शांति, शांति और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के अतिरिक्त सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य कर रहा है। इन कथित अपराधों को उसकी हिरासत के आधार के रूप में नोट किया गया था, इसके अतिरिक्त इस आशंका के अतिरिक्त कि "वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर सकता है और उसके इसी तरह के अपराध करने की एक आसन्न संभावना है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, जब तक कि उसे हिरासत के उचित आदेश द्वारा ऐसा करने से रोक न दिया जाए।

10. हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 8 जनवरी 2021 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, हैदराबाद द्वारा इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया गया था कि उसे आरोप पत्र दाखिल होने तक हर हफ्ते एक निर्धारित दिन पर संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को रिपोर्ट करना होगा। दूसरे मामले में बंदी को जमानत देने के आदेश इस शर्त के अधीन किया गया था कि बंदी 11 जनवरी 2021 से तीन

महीने की अवधि के लिए प्रत्येक सप्ताह रविवार को संबंधित पुलिस स्टेशन के समक्ष उपस्थित होगा। जमानत देने के आदेशों से जुड़ी शर्तों को अप्रैल 2021 के महीने में पारित किया गया था। दिनांक 19 मई 2021 के हिरासत का आदेश इन भौतिक पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा है और विवेक के उचित प्रयोग न करने से ग्रस्त है। जिस आधार पर बंदी की निवारक हिरासत लागू की गई है, वह यह है कि बंदी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा दिया है और इसके परिणामस्वरूप, 450 अभ्यर्थियों को धोखा दिया गया, जिनसे 85 लाख रुपये की राशि एकत्र की गई थी। हिरासत के आदेश में दर्ज है कि बंदी ने दो मामलों में जमानत याचिका दायर की थी जिसमें वह न्यायिक हिरासत में था और मजिस्ट्रेट ने उसे सशर्त जमानत दी थी। यह आशंका थी कि जमानत शर्तों का उल्लंघन कर सकता है तथा वह इसी तरह के अपराध कर सकता है । यह ध्यान रखना उचित है कि जमानत शर्तों के उल्लंघन के लिए जांच अधिकारियों द्वारा जमानत रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था।

11. इस स्तर पर, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि पहला मामला 15 अक्टूबर 2020 को दर्ज किया गया था, जबकि दूसरा मामला 17 दिसंबर 2020 को दर्ज किया गया था। जमानत 8 जनवरी 2021 को दी गई थी। हिरासत का आदेश 19 मई 2021 पारित किया गया था, और 26 जून 2021 को इसे क्रियान्वित कर दिया गया था। पहली प्राथमिकी दर्ज होने के करीब सात महीने बाद और दूसरी प्राथमिकी दर्ज होने के करीब पांच महीने बाद हिरासत का आदेश पारित किया गया। हिरासत का आदेश स्पष्ट रूप से पुरानी सामग्री पर आधारित है और हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से इस तथ्य पर ध्यान न देने को दर्शाता है कि जमानत देते समय बंदी पर जो शर्तें लगाई गई थीं, उन्हें विधिवत पूरा किया गया था और इस बीच ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने सार्वजनिक व्यवस्था का हवाला देते हुये केवल यह आशंका व्यक्त की कि जिन कृत्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उन्हें भविष्य में दोहराया जा सकता है, जिससे उल्लंघन की आशंका पैदा हो सकती है। ।उच्च न्यायालय पिछले मामलों के बीच एक जीवंत और निकटतम संबंध के अस्तित्व और पहली प्राथमिकी दर्ज होने के सात महीने और जमानत हासिल करने के लगभग पांच महीने बाद हिरासत में लेने की आवश्यकता की जांच करने में विफल रहा है।

12. राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1966 एससी 740 मामले में संविधान पीठ द्वारा कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी और सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से तय किया गया है। न्यायालय ने माना है कि प्रत्येक अव्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की सीमा को पूरा नहीं करती है, जब तक कि यह बड़े पैमाने पर किसी समुदाय को प्रभावित न करे। संविधान पीठ ने कहा:

> “51. हमारे पास भारत की रक्षा नियमों के नियम 30 के तहत हिरासत का प्रावधान है जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को पकड़ने और हिरासत में लेने की अनुमति देता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जाता है तो सार्वजनिक अव्यवस्था का अंदेशा हो सकता है। इसमें कोई

संदेह नहीं है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखकर भी अव्यवस्था को रोका जा सकता है, लेकिन अव्यवस्था को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मे देखा जा सकता है जिसमें एक छोर पर छोटी गड़बड़ी और दूसरे छोर पर सबसे गंभीर और विनाशकारी घटनाएं शामिल होती हैं। क्या "सार्वजनिक व्यवस्था" की अभिव्यक्ति हर प्रकार की अव्यवस्थाओं या उनमें से केवल कुछ को ही ध्यान में रखती है? इसका उत्तर "सार्वजनिक व्यवस्था" को "कानून और व्यवस्था" से अलग करना है क्योंकि उत्तरार्द्ध निस्संदेह उन सभी को ध्यान में रखता है। यदि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होती है, तो इससे सार्वजनिक अव्यवस्था अवश्य होगी। शांति के प्रत्येक उल्लंघन से सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती है। जब दो शराबी झगड़ते और लड़ते हैं तो अव्यवस्था तो होती है लेकिन सार्वजनिक अव्यवस्था नहीं होती। उनसे कानून और व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियों के तहत निपटा जा सकता है, लेकिन इस आधार पर हिरासत में नहीं लिया जा सकता कि वे सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डाल रहे थे। मान लीजिए कि दो लड़ाके प्रतिद्वंद्वी समुदायों के थे और उनमें से एक ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की। समस्या अभी भी कानून और व्यवस्था की है लेकिन यह सार्वजनिक अव्यवस्था की आशंका पैदा करती है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों की कल्पना की जा सकती है. कानून का उल्लंघन हमेशा व्यवस्था को प्रभावित करता है लेकिन इससे पहले कि यह कहा जा सके कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, इसे बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता को प्रभावित करना चाहिए। इस प्रकार केवल कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण अव्यवस्था होना भारत रक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी गड़बड़ी है जो सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट कर देती है। एक जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक व्यवस्था में तोड़फोड़ को रोकने के लिए नियम 30(1)(बी) के तहत कार्रवाई करने का हकदार है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए नहीं।

52. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरह इस न्यायालय के फैसलों (पहले उद्धृत) में "सार्वजनिक व्यवस्था" को "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वाले विकारों की तुलना में कम गंभीरता के विकारों को समझने के लिए कहा गया था, "कानून और व्यवस्था" भी कम गंभीरता के विकारों को समझती है। "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित करने वालों की तुलना में गंभीरता से किसी को तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर अगला वृत्त सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह देखना आसान है कि एक अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, जैसे एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं। "कानून और व्यवस्था बनाए रखना" अभिव्यक्ति का उपयोग करके जिला मजिस्ट्रेट अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे थे और भारत की रक्षा नियमों में एक खंड जोड़ रहे थे।

(जोर दिया गया)

13. बांका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य (2021) 9 एससीसी 415 , में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 1986 के तेलंगाना अधिनियम के तहत निवारक हिरासत के आधार के रूप में

भोले-भाले व्यक्तियों को धोखा देने के एक कथित अपराध की समान तथ्यात्मक स्थिति की जांच की। न्यायालय ने माना कि हालांकि ऐसी आशंका हो सकती है किसी आरोपी की जमानत रद्द करने पर विचार करने के लिए यह एक आधार हो, यह निवारक हिरासत के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर सकता जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए कोई स्पष्ट खतरा न हो। न्यायालय ने कहा:

> "9...याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तीन बिंदु उठाए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि शिकायत किए गए कृत्यों और हिरासत के आदेश की तारीख के बीच कोई निकटतम या जीवंत संबंध नहीं है, क्योंकि आखिरी कृत्य जिसकी शिकायत की गई थी, जो कि पहले 3 प्राथमिकी (दिनांक 12-12-2019, 12-12-2019 और 14-12-2019) से पता चलता है कि ये दिसंबर 2019 के थे जबकि हिरासत आदेश 9 महीने बाद दिनांक 28-9-2020 को पारित किया गया था। इसके बाद उन्होंने यह स्वीकार किए बिना तर्क दिया कि इन मामलों के तथ्यों पर केवल "कानून और व्यवस्था" की समस्या उत्पन्न होगी, न कि "सार्वजनिक व्यवस्था" की समस्या, और उसी को समर्थन देने के लिए इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का हवाला दिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हिरासत आदेश पूरी तरह से विकृत था क्योंकि इसे केवल इसलिए पारित किया गया था क्योंकि अग्रिम जमानत/जमानत आवेदन मंजूर किए गए थे। राज्य के लिए कार्रवाई का सही तरीका यह होगा कि यदि कोई और अप्रिय घटना घटती है तो दी गई जमानत को रद्द करने के लिए कदम उठाया जाए।
>
> 12. हालाँकि इस बात पर गंभीरता से विवाद नहीं किया जा सकता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति "सफेदपोश अपराधी" हो सकता है, जैसा कि तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (x) के तहत परिभाषित किया गया है, फिर भी निवारक हिरासत आदेश केवल तभी पारित किया जा सकता है यदि उसकी गतिविधियाँ प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना है। तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (ए) के स्पष्टीकरण में "सार्वजनिक व्यवस्था" को आम जनता या उसके किसी भी वर्ग के जीवन या सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच नुकसान, खतरा या अलार्म या असुरक्षा की भावना या गंभीर व्यापक खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है।
>
> 15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पांच प्राथमिकी में जो आरोप लगाया गया है वह "कानून और व्यवस्था" के दायरे से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी के पाँच एफ.आई.आर मे विभिन्न कृत्यों का उत्तरदायी पाते हुए हिरासत में लिया गया है जो दंड संहिता की तीन धाराओं के तहत दंडनीय हैं । हिरासत आदेश को बारीकी से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त आदेश का कारण व्यापक सार्वजनिक क्षति, खतरे या खतरे की आशंका नहीं है, बल्कि केवल इसलिए है क्योंकि बंदी प्रत्येक मामले में अदालतों से अग्रिम जमानत/जमानत प्राप्त करने में सफल रहा था। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अग्रिम जमानत/जमानत मिल जाती है, तो स्थिति से निपटने के लिए सामान्य कानून में प्रसिद्ध उपाय हैं। राज्य हमेशा दिए गए जमानत आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है और/या जमानत रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। इस मामले मे केवल अग्रिम

जमानत/जमानत आदेशों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना ही बंदी को हिरासत में लेने का वास्तविक आधार है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम की धारा 2 (ए) में आम जनता के बीच नुकसान, खतरे या अलार्म या असुरक्षा की भावना की बात की गई है। जो काल्पनिक है और वर्तमान मामले के तथ्यों में पूरी तरह से अनुपस्थित है।

32. इस मामले के तथ्यों पर, जैसा कि हमारे द्वारा बताया गया है यह स्पष्ट है कि उच्चतम स्तर पर, कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की संभावित आशंका तभी कही जा सकती है जब यह आशंका हो कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति, यदि आज़ाद हो जाय, भोले-भाले लोगों को धोखा देना जारी रखेगा। यह दिए गए जमानत आदेशों के खिलाफ अपील करने और/या जमानत रद्द करने का एक अच्छा आधार हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से निवारक हिरासत क़ानून के तहत आगे बढ़ने के लिए आधार प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए, हम इस आधार पर हिरासत आदेश को रद्द करते हैं...।"

14. सामा अरुणा बनाम तेलंगाना राज्य में,(2018) 12 एससीसी 150 , इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एक मामले की जांच की जहां 1986 के तेलंगाना अधिनियम के तहत हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा पुरानी सामग्रियों पर भरोसा किया गया था। हिरासत का आदेश उन घटनाओं से संबंधित था जो नौ और चौदह वर्षों के बीच हुई थीं पहले आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, अपहरण और जबरन वसूली से जुड़े अपराधों के संबंध में थी। इस न्यायालय ने माना कि एक निवारक हिरासत आदेश जो घटना और हिरासत के बीच एक जीवंत और निकटतम लिंक की जांच किए बिना पारित किया गया है, वह बिना मुकदमे के सजा के समान है। न्यायालय ने कहा:

"17. इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उपरोक्त हिरासत आदेश उन आधारों पर पारित किया गया था जो पुराने हैं और जिन्हें व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक नहीं माना जा सकता था कि हिरासत में लिया जाना चाहिए। हिरासत का आदेश आसपास की परिस्थितियों के मद्देनजर किसी व्यक्ति के पिछले आचरण के आधार पर उसके भविष्य के व्यवहार के उचित पूर्वानुमान पर आधारित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के पिछले आचरण और उसे हिरासत में लेने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच जो जीवंत और निकटतम संबंध होना चाहिए, उसे इस मामले में ख़त्म कर दिया गया माना जाना चाहिए। एक हिरासत संबंधी आदेश जो पुरानी घटनाओं पर आधारित है, उसे एक अपराध के लिए सजा के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए, जो बिना किसी मुकदमे के पारित किया गया है, हालांकि इसे निवारक हिरासत का आदेश माना जाता है। निवारक हिरासत की आवश्यक अवधारणा यह है कि किसी व्यक्ति की हिरासत उसे उसके किसी काम के लिए दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करने से रोकने के लिए है। जी रेड्डैया बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश, (2012) 2 एससीसी 389 : (2012) 1 एससीसी (सीआरआई) 881] और पीयू इकबाल बनाम भारत संघ, (1992) 1 एससीसी 434 : 1992 एससीसी (सीआरआई) 184 देखें। "

15. कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की मात्र आशंका "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के मानक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मामले में, हिरासत आदेश से

सात महीने पहले रिपोर्ट किए गए अपराध के कारण सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका का वास्तव में कोई आधार नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी का महज अनुमान है, खासकर तब जब 8 जनवरी 2021 को जमानत पर रिहा किए जाने और 26 जून 2021 से हिरासत में लिए जाने के बाद से अशांति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बंदी पर लगे आरोप गंभीर हैं। हालाँकि, किसी अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निवारक हिरासत की वेदी पर केवल इसलिए बलिदान नहीं किया जा सकता क्योंकि एक व्यक्ति को आपराधिक कार्यवाही में फंसाया गया है। निवारक हिरासत की शक्तियाँ असाधारण और यहाँ तक कि कठोर भी हैं। औपनिवेशिक युग में उनकी उत्पत्ति का पता लगाते हुए, उन्हें दुरुपयोग के खिलाफ सख्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ जारी रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया था और संविधान सभा में व्यापक रूप से बहस की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निवारक हिरासत की असाधारण शक्तियां राज्य प्राधिकरण के कठोर और मनमाने अभ्यास में विकसित न हों। मौजूदा मामला हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर असर डालने वाली भौतिक परिस्थितियों में दिमाग का उपयोग न करने का एक स्पष्ट उदाहरण है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ जो दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं, उन पर आपराधिक कानून के सामान्य तरीके से निपटा जा सकता है।

16- हम यह भी नोट करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद, उत्तरदाताओं को तामील करा दिया गया है। कोई जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है. हमने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए किसी भी अतिरिक्त स्थगन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है क्योंकि एक विस्तृत और व्यापक जवाबी हलफनामा जो उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था वह पहले से ही रिकॉर्ड में है और वर्तमान कार्यवाही उस सामग्री के आधार पर तर्क दी गई है जो उस उच्च न्यायालय के सामने थी। नागरिक की स्वतंत्रता को राज्य की सुस्ती और देरी पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के पास जाना चाहिए और रिट याचिका समय से पहले दायर की गई है। हालाँकि, अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 2 एससीसी 427 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि जबकि अदालतों के बीच सामान्य प्रक्रियात्मक पदानुक्रम का सम्मान किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का विस्तार होता है। उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना जिन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए राज्य के साधन को हथियार बनाया जा रहा है :

> “68. श्री कपिल सिब्बल, श्री अमित देसाई और श्री चंदर उदय सिंह यह कहने में निस्संदेह सही हैं कि जमानत देने से संबंधित मामलों में अदालतों की प्रक्रियात्मक पदानुक्रम का सम्मान किया जाना चाहिए। हालाँकि, उच्च न्यायालय दो स्तरों पर अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करने में विफल रहा - पहला, प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका में अंतरिम चरण में प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने से इनकार करना कि क्या कोई बहस योग्य मामला बनाया गया है, और दूसरा- प्रथम दृष्टया राय प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के परिणामस्वरूप, अंतरिम जमानत को

अस्वीकार करने में। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 को लागू करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश द्वारा नागरिक की रक्षा करने की शक्ति थी। जहां उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है, यह न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका और कार्यों का त्याग कर देगा यदि वह हस्तक्षेप करने से इनकार करता है , इस तरह के हस्तक्षेप के मापदंडों को पूरा करने के बावजूद। इस न्यायालय के दरवाजे किसी ऐसे नागरिक के लिए बंद नहीं किए जा सकते जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने में सक्षम है कि आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए राज्य के साधन को हथियार बनाया जा रहा है। हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बने रहें। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित होना एक दिन बहुत अधिक है। हमें अपने निर्णयों के गहरे प्रणालीगत निहितार्थों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए।"

17. यहां यह नोट करना भी प्रासंगिक है कि पिछले पांच वर्षों में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक आदेश के रखरखाव के लिए बनाये गये मानकों को गलत तरीके से लागू करने के लिए तेलंगाना अधिनियम 1986 के तहत पांच से अधिक हिरासत के आदेशों को रद्द कर दिया है और हिरासत के आदेश पारित करते समय घिसे पिटे सामग्रियों पर भरोसा करने पर पिछले एक साल में ही तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा 1986 के तेलंगाना अधिनियम के तहत कम से कम दस हिरासत आदेशों को रद्द कर दिया गया है। ये संख्याएँ हिरासत में लेने वाले अधिकारियों और प्रतिवादी-राज्य द्वारा निवारक हिरासत की असाधारण शक्ति के प्रयोग के एक संवेदनहीन अभ्यास को दर्शाती हैं। हम उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि वे सलाहकार बोर्ड, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हिरासत आदेशों की चुनौतियों का जायजा लें और कानूनी मानकों के विरुद्ध नजरबंदी आदेश की निष्पक्षता का मूल्यांकन करें।

18. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हुये दिनांक 25 जनवरी 2022 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ दिनांक 19 मई 2021 को पारित किया गया हिरासत का आदेश तदनुसार रद्द किया जाता है।

19. लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, उसे भी इसी आदेश से निस्तारित किया जाता है।

अनुवादक

दुर्गेश चन्द्र अवस्थी